तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **श्री कृष्ण तिवाडी बनाम लोक सूचना अधिकारी (अति संभागीय आयुक्त), जयपुर** **अपील संख्या जीसीएमएस नम्बर 2025/1137**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
28.04.2025	पत्रावली पेश हुई। लोक सूचना अधिकारी की टिप्पणी पत्रांक एफ 19(2)(5) आरटीई/प्रथम अपील/05955/संआज/2024/142 दिनांक 28.04.2025 प्राप्त। जिसमें उन्होनें अंकित किया है कि अपीलार्थी द्वारा प्रेषित आर.टी.आई आवेदन दिनांक 16.01.2025 को इस कार्यालय मे प्राप्त हुआ है। अपीलार्थी द्वारा इस कार्यालय में प्रस्तुत पत्र के संदर्भ में चाही गई बिन्दू संख्या 1 से 5 के संदर्भ में कार्यालय के पत्रांक 59 दिनांक 14.02.2025 द्वारा अपीलार्थी/आवेदक श्री कृष्ण तिवाडी को इस कार्यालय से संबंधित 2 पृष्ठ की सूचना रजिस्ट्रर्ड डाक द्वारा भिजवाई जा चुकी है। अतः अपील खारिज कराने का श्रम करावें । हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा प्रकरण पर मनन किया गया। अपीलार्थी द्वारा अपनी अपील में कथन किया है कि अपीलार्थी को कोई भी सूचना प्राप्त नहीं हुई है। अतः ऐसी स्थिति में अपीलार्थी/आवेदक श्री कृष्ण तिवाडी को इस कार्यालय से संबंधित 2 पृष्ठ की सूचना पुनः निशुल्क दिया जाना उचित समझते हैं। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर अपीलार्थी को उक्त 2 पृष्ठ की सूचना निशुल्क उपलब्ध कराये जाने के आदेश दिये जाते हैं। निर्णय की प्रति उभयपक्ष को भिजवायी जावें । पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो । आदेश सुनाया गया । **(पूनम)** **संभागीय आयुक्त,** **जयपुर**	